

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दस्तावेज

फर्द अहकाम

मु. नं. 63/16 तारीख 27.7.16

उपनाम - कैशान्ती बनाम बतास्याकोठ
कमालपुरा

दावा बाबत कोषा स्वतन्त्रता एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से राम भरोसी गुप्ता Adv. ने दावा बाबत कोषा स्वतन्त्रता व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 100 पेश किया। आपराधिक व जमानत का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्रार की प्रतिक्रिया को जरिये सम्मन सेतल कर दिनांक 18.7.16 को पेश है।

1823-28
12.7.16

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कौली)

18.7.16

वादी वकील उपो। प्रतिवादी नं. 1 का. 6 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 2 बाबजूद सूचना उपो नहीं। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वस्ति जबकि दावा दिनांक 28.7.16 को पेश है।

27.7.16

वकालत उपो। जबकि पेश करने समय पाहा। वस्ति जबकि 11.8.16 को पेश है।

8.8.16

वकालत उपो। वस्ति जबकि दि. 22-8-16 को पेश है।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक

फर्द अहकाम

से संबंधित एक अन्य मुकदमा नम्बरी 11/16 उनवानी
बताहया कौं बचाम ड्डाज कौं भी पलरहा डी वकील
अभयक्ष ने एक साथ सुनवाई कने हेतु इस मुकदमा को
मुं.नं. 11/16 में समाविता बिघे जोन का निवेदन किया
डावलोरन पर यह पत्रावली मुं.नं. 11/16 के साथ समाविता
की जाती है

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करीली)

19819

यह पत्रावली उनवानी पत्रावली बताहया बचाम ड्डाज
में प्रतिवदीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है जोसे
डालग कने पर पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं
है। कई बार डावाज दिलवाई गई फिर भी वादी वकील
एवं वादीगण के उपस्थित नहीं होने से यह राब ड्डम
हाजिरी एवं ड्डम पैरवी में खालि किया जाता है। पत्रावली
फैलन शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करीली)